रायसीना हिल्स वार्ता

आर्थिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय बजट जैसी नीतियों के संबंध में व्यस्त संसद के शीतकालीन सत्र में अर्थव्यवस्था से सबंधित सभी पक्षों पर विस्तार में विचार-विमर्श किया गया| परन्तु सबसे अधिक ध्यान अवसंरचना क्षेत्र (Infrastructure Sector) पर ही केन्द्रित किया गया| वस्तुतः इस चर्चा का उद्देश्य निजी निवेशों के जीर्णोद्धार के लिये सतही स्थितियों को पुनः स्थापित करना तथा नई स्थितियों को निर्मित करना था|

प्रमुख बिंदु

- स्पष्टतः मोदी सरकार के सत्ता में आते ही, वर्ष 2014 के ग्रीष्मकालीन सत्र में अवसंरचना क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया गया था| इसके लिये आवश्यक सार्वजानिक व्यय को भी पहले की अपेक्षा और अधिक बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने की दिशा में कार्यवाही करने तथा और बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया|
- वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार सटीक कार्य किया जा रहा है| ध्यातव्य है कि अवसंरचना क्षेत्र में प्रगति करने के लिये केंद्र सरकार ने बजटीय क्षमता के तकरीबन 18.5% धन (21.47 लाख करोड़ में से 3.96 लाख करोड़) का आवंटन मात्र इस क्षेत्र के लिये किया है|
- ध्यातव्य है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल 2012-मार्च 2017) के अंतिम वर्ष में तक़रीबन 12 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना आवंटन की आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया गया था|
- यही कारण है कि इस सन्दर्भ में यह आशा व्यक्त की जा रही है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक अवसंरचना हेतु 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी|
- इसी क्रम में वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में अवसंरचना क्षेत्र पर कुल 3.96 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है|
- यदि ऐसा माना जाए कि यह आवंटन राशि देश के सभी राज्यों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों के लिये उपलब्ध बजटीय स्रोतों से सौ प्रतिशत मिलान करती है तो संभव है कि यह सार्वजनिक कोष की क्षमता को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने में सक्षम होगी|
- हालाँकि, इसके बावजूद भी यह वर्तमान की आवश्यकता का मात्र आधा भाग ही होगा| स्पष्ट है कि शेष 7 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की धनराशि की पूर्ति निजी पूंजी के रूप में की जाएगी|

चुनौतियाँ तथा समाधान

- दुर्भाग्यवश, वर्तमान परिदृश्य इस प्रकार के किसी भी निजी निवेश को आकर्षित करने के अनुकूल साबित होता नहीं दिखाई पड़ता है|
- विदित हो कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत भी इस बात का खुलासा किया गया है कि इस सन्दर्भ में राजनीतिक गतिशीलता (जो कि निजी क्षेत्र को आकर्षित करने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है) मुख्य चुनौतियों में से एक है|
- उक्त सन्दर्भ में यहाँ ऐसे नौ सुझाव दिये गए हैं जिनके क्रियान्वयन से निजी क्षेत्र को पुनः इस दिशा में आकर्षित करने हेतु आवश्यक सहायता प्राप्त होने की प्रबल संभावना है|

(i). जुड़वाँ बैलेंस शीट की समस्या का समाधान (The twin balance sheet problem)

- गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जुड़वाँ बैलेंस शीट की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया गया है|
- जुड़वाँ बैलेंस शीट की समस्या का अर्थ है, बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (Non-Performing assets - NPAs) तथा निजी क्षेत्रों की ऋणग्रस्त बैलेंस शीट से जुड़ी समस्याएँ|
- इस समस्या का समाधान करने के लिये आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत 'पारा' (Public Sector Asset Rehabilitation Agency- PARA) नामक एक नई एजेंसी को क्रियान्वित करने का समाधान सुझाया गया है|

(ii). सार्वजनिक परिसम्पतियों का पुनर्चक्रीकरण (Public assets recycling)

- वस्तुतः भारत में अवसंरचना प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों (foreign institutional investors) के द्वारा किये जाने वाले निवेशों की ओर एक आशापूर्ण दृष्टि रखी जाती है|
- हालाँकि वे ऐसे ब्राउनफील्ड (Brownfield) प्रोजेक्टों के संचालन के लिये धन का निवेश करते हैं जो कि संदिग्ध नए ग्रीनफ़ील्ड (Greenfield) प्रोजेक्टों से अलग होते हैं|
- इसके लिये आवश्यक है कि कर और अन्य मानकों के माध्यम से राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संपत्ति विक्रय जैसे नए प्रोजेक्टों में धन का पुनर्चक्रीकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये|

(iii). संशोधति भ्रष्टाचार नविारण अधनियिम (Modifying the Prevention of Corruption Act)

- कभी कभी अनुभवी नौकरशाहों (यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंककर्मयिों) द्वारा भी प्रासंगिक व्यावसायिक नर्णिय नहीं लयि जाते हैं|
- वस्तुतः इसका प्रमुख कारण यह होता है कि ये प्रभावशाली व्यक्ति स्वयं के नर्णियों के संबंध में जाँच एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नचन्हिों तथा उसके कारण करयिर एवं सेवानवृित्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भयभीत रहते हैं|
- अत: इसके लयि आवश्यक है कि भ्रष्टाचार नरिोधक अधनियिम,1988 (Prevention of Corruption Act) को संशोधति कयिा जाना चाहयि|

(iv). ववािद समाधान (Dispute resolution)

- जनता के अनुबंध (ववािदों के समाधान)वधियक, 2015 [Public Contracts (Resolution of Disputes) Bill] के अनुसार, सरकारी अनुबंधों से उपजे ववािदों का समाधान करने के लयि एक सशक्त न्यायाधकिरण को स्थापति कयिा गया है|
- ध्यातव्य है कि इस संबंध में वशिष राहत अधनियिम (Specific Relief Act),1983 में कयि गए संशोधनों की जाँच करने के लयि गठति एक वशिषज्ञ समति द्वारा 20 जून 2016 को अपनी रपिोर्ट भी प्रस्तुत की गईं है|
- यही कारण है कि वति्त मंत्री के बजटीय भाषणों में भी इस पहल को आगे बढ़ाने की दशिा में सकरात्मक संकेत दयि गए है|

(v). मध्यस्थता पुरुस्कारों में अवरोधति राशि का वर्णन (Release of locked amounts in arbitration awards)

- ध्यातव्य है कि अगिस्त 2016 में, वति्त मंत्रालय द्वारा नजिी क्षेत्रों के पक्ष में नर्णिय करते हुए तकरीबन 75 फीसदी कोषों को मध्यस्थता पुरुस्कारों (Arbitration Awards) के रूप में मुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई |
- हालाँकि इस संदर्भ में इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रयिा को नौकरशाही प्रक्रयिाओं (जसिमे बैंक गारंटी की कष्टदायक स्थति भी शामलि है) द्वारा पंगु बनाने का प्रयास कयिा जा रहा है, अत: इस दशिा में वशिष ध्यान दयि जाने की आवश्यकता है|

(vi). राष्ट्रीय नविश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund - NIIF)

- राष्ट्रीय नविश एवं अवसंरचना कोष नजिी धन को बढ़ावा देने की दशिा में एक नया कदम है|
- पहले की भाँति अवसंरचना क्षेत्र में नजिी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लयि वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय नविश एवं अवसंरचना कोष एक प्रेरक शक्ति साबति होगा|

(vii). स्मार्ट शहरों और नगर नगिम बांड (Smart cities and municipal bonds)

- अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार प्रदान करने के लयि दी जानी वाली सुवधिाओं को नजिी पूँजी के रूप में लामबंद करके ही प्रदत्त करना चाहयि| यद ि ऐसा होता है नगर नगिम बांड बाज़ार को और अधकि प्रेरति करने के लयि कुछ अन्य उपायों को भी अपनाना होगा|

(viii). स्वतंत्र नयिामक (Independent regulation)

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 के बजट में वति्त मंत्री द्वारा की गई एक घोषणा में नीति आयोग को नयिामकीय सुधार वधियक (Regulatory Reforms Bill) को अंतमि रूप देने को कहा गया था|
- सार्वजनकि नजिी भागीदारी को पुनर्जीवति करने में स्वतंत्र नयिामक एक आवश्यक प्रणेता (precursor) के रूप में अवस्थति होता है|
- जैसा ही ज्ञात है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष नयिमाकीय अनश्चितिता और असम्भाव्यता प्रमुख जोखमि धारणाएँ बनी हुई हैं|

नष्किर्ष

स्पष्ट है की उपरोक्त मानकों के सटीक अनुपालन से रायसीना हलि द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में आवश्यक महत्त्वपूर्ण नणिर्य, जैसे कि भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में नजिी नविश को पुनर्जीवति करना इत्यादि जैसे नर्णिय लयि जा सकते हैं|